राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

:: परिपत्र ::

क्रमांक :10 /पी.आई./2024 **दिनांक : 21.11.2024**

इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया है कि विचारण न्यायालयों में पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन (Final Report) अथवा परिवाद (Complaint) प्रस्तुत करने की दिनांक को ही सी0आई0एस0 में नियमित फौजदारी प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन की दिनांक के रूप में दर्ज किया जा रहा है, जबकि उनमें प्रसंज्ञान पश्चातवर्ती तारीख पर लिया जा रहा है। वस्तुतः दोनों दिनांक भिन्न है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि सामान्य नियम (दिवानी एवं आपराधिक), 2018 के आदेश 32 नियम 2(a) के अनुसार परिवाद तथा अंतिम प्रतिवेदन दर्ज कर मामलों में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार जनरल

कमांक :Gen./XV/41/2015 (Part-III)/1854 **दिनांक :** 21.11.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को अग्रेषित की जाती है-

1. समस्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारियों (विशिष्ट न्यायालयों सहित) के मध्य प्रसारित करावें।
2. रजिस्ट्रार मय सी.पी.सी, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
3. रजिस्ट्रार (वर्गीकरण–II), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर।
5. सामान्य अनुभाग, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

रजिस्ट्रार जनरल